


न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 126/2019

दायर दिनांक 28.05.2019



वादी	प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रवण पुत्र जेटुराम उर्फ जेटाराम 2. तेजाराम पुत्र जेटुराम उर्फ जेटाराम 3. चेतन प्रकाश दत्तक पुत्र रूपाराम 4. मांगूराम पुत्र हणुताराम 5. छोटूराम पुत्र शैतानाराम 6. सुभाष पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण पीडवा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. विजयराम पुत्र पुसाराम जाति गुर्जर निवासी पीडवा तहसील डीडवाना 2. मोहनसिंह पुत्र शिशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी पीडवा तहसील डीडवाना 3. धनाराम पुत्र भंवरू 4. मदन पुत्र भंवरू 5. राजु देवी पुत्री भंवरू 6. छोटीदेवी पुत्री भंवरू 7. जगदीश पुत्र सोहन उर्फ मोहन 8. नानूराम पुत्र सोहन उर्फ मोहन 9. सन्तोष पुत्री सोहन उर्फ मोहन 10. केशरदेवी बेवा सोहन उर्फ मोहन समस्त जाति गुर्जर निवासी आंगुन्ता तहसील डीडवाना 11. चैनाराम दत्तक पुत्र काना 12. बाबुलाल पुत्र किशनाराम 13. अनाराम पुत्र किशनाराम 14. पतासी पुत्री किशनाराम 15. सरजु पुत्री किशनाराम 16. देवली बेवा चन्द्राराम 17. गिरधारी पुत्र चन्द्राराम 18. महावीर पुत्र चन्द्राराम 19. सिंजाराम पुत्र चन्द्राराम 20. प्रकाश पुत्र चन्द्राराम 21. रेखा पुत्री चन्द्राराम 22. बाबुडी पुत्री चन्द्राराम नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता देवी बेवा चन्द्राराम 23. भंवरलाल पुत्र प्रभूराम 24. सोहनी पुत्री शैतान 25. गीता पुत्री शैतान 26. चौथुडी पत्नी शैतानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण पीडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज 27. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 126/2019
दायर दिनांक 28.05.2019, निर्णय दिनांक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह वकील वादीगण
2. श्री नागपालसिंह वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 की ओर से।

दिनांक 11.11.2019

--: निर्णय :-


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण संख्या 01 ता 03 व प्रतिवादी संख्या 01 विजयराम, प्रतिवादी सं० 03 धन्नाराम से प्रतिवादी सं० 10 केशर देवी तक स्व० प्रताप जी के वारिसान है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। वादी सं० 04 से 06 व प्रतिवादी सं० 11 ता 25 तक स्व० हणुताराम के वारिसान है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है।

पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति की भूमि वाके सरहद पीडवा के खेत खसरा सं० 117 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 49 बीघा 01 बिस्वा है। इसके अतिरिक्त वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा है। वादित खसरान का पक्षकारान के मध्य अरसे दराज पहले बंटवारा हो चुका है। उसी अनुसार मौके पर आज भी काबिज है। जो निम्न प्रकार है:-

(क) वादी श्रवण के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 उत्तरी भाग। खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा में से 1/3 पश्चिमी भाग।

(ख) वादी तेजाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी भाग। खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा में से 1/3 पूर्वी भाग।

(ग) वादी चेतन प्रकाश के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 बीच का भाग। खसरा सं० 312


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 126/2019
दायर दिनांक 28.05.2019, निर्णय दिनांक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 19 बीघा 13 बिस्वा में से 1/3 बीघा का भाग।

(घ) वादी मांगुराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी भाग। खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 15 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 यानि 07 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा।

(च) वादी छोटूराम व वादी सुभाष तथा प्रतिवादी सं० 16 से 26 के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 15 बीघा 12 बिस्वा में से 07 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा।


(छ) प्रतिवादीगण चैनाराम दत्तक पुत्र काना के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 15 बीघा 12 बिस्वा में से 07 बीघा 16 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा।

(ज) प्रतिवादी सं 12 से 15 बाबुलाल, अनाराम पतासी व सरजु देवी के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 15 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 यानि 07 बीघा 16 बिस्वा।

(झ) प्रतिवादी विजयराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 यानि 12 बीघा 07 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा।

(ट) प्रतिवादी सं० 02 मोहनसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 117 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण।

उपरोक्त अनुसार पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्सों पर काबिज है। सिवें निवें कायम है। मगर अभी तक विधिवत बंटवारा न होने के कारण वादीगण को घोषणा व बंटवारा का दावा करना लाजमी आया है। प्रतिवादी मोहनसिंह को प्रतिवादी विजयराम के पिता पूसाराम द्वारा अपने जीवन काल में बेचान कर दिया जिनका नाम भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी छोटूराम व सुभाषके पिता व दादा शैताना आज से करीब 20 साल पहले लापता हो गया जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र सिविल न्यायाधीश डीडवाना द्वारा दिनांक 14.03.2018 को जरिये मृत घोषित कर दिया गया है। जिनकी प्रति वाद के साथ संलग्न है।


 सहायक जज
 डीडवाना (जागीर)


राजस्व-वाद, संख्या 128/2019
दायर दिनांक 28.05.2019, निर्णय दिनांक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज भंवरू व सोहन उर्फ मोहन का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादी सं० 03 ता 10 कंसर देवी है। मगर स्व० भंवरू व सोहन उर्फ मोहन अपने ननिहाल आगुन्ता जाकर रिति रिवाज अनुसार आज से करीब 50 साल पहले गोद चले गये। जिनकी जमीन जायदाद आगुन्ता में ही है। राशन कार्ड, वोटर कार्ड भी आगुन्ता के ही बने हुए है। वादित खसरा न में कभी काश्त नहीं की इसलिए इनका नाम राजस्व रिकार्ड से पृथक किया जावे। वादी चेतन प्रकाश को धार्मिक रिति रिवाज के अनुसार रूपाराम ने बाल्यावस्था में ही गोद रख लिया। रूपाराम का स्वर्गवास दिनांक 30.05.2016 को हुआ। उस वक्त क्रियाक्रम, गंगाप्रसादी एवं पाग का दस्तुर वादी चेतन प्रकाश के द्वारा किया गया। 12 दिनों पर नूता भी चेतन प्रकाश द्वारा लिया गया। जिसकी लिखित एवं हरिद्वार में फूल डालने के छायाचित्र वाद के साथ प्रस्तुत है। जिससे वादी का स्व० रूपाराम की जमीन जायदाद पर गोद पुत्र की हैसियत से अधिकार है। जिससे भी यह वाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाके सरहद पीडवा के खेत खसरा सं० 117 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा कुंल रकबा 49 बीघा 01 बिस्वा है। इसके अतिरिक्त वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा व खसरा सं० 313 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा का विधिवत बंटवारा कर वाद के पद सं० 03 के अनुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अलग-अलग घोषित किये जावे। प्रतिवादी सं० 03 धनाराम ता प्रतिवादी सं० 10 कंसर देवी का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 03 ता 07, 09 ता 14, 16, 18 ता 22, 24 ता 26 ने राजीनामा पेश किया। जिसे वाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार वादी के वाद के पैरा संख्या 03 के अनुसार दावा डिक्री किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं० 02, 08, 15, 17, 23 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश हो चुका है। अतः वाद विवेचन जरिये राजीनामा दावा स्वीकार किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 126/2019
दायर दिनोंक 28.05.2019, निर्णय दिनोंक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

आदेश

अतः हस्य दावा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

(क) वादी श्रवण के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 उत्तरी भाग यानि 04 बीघा 14 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/3 यानि 05 बीघा 17 बिस्वा पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

(ख) वादी तेजाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी भाग यानि 04 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 05 बीघा 17 बिस्वा वादी चेतन प्रकाश से पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।

(ग) वादी चेतन प्रकाश के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 बीच का भाग यानि 04 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा में से 1/3 वादी श्रवण वादी तेजाराम के बीच का हिस्सा यानि 05 बीघा 17 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(घ) वादी मांगुराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी भाग यानि 12 बीघा 07 बिस्वा व खसरा सं० 313 03 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 02 बीघा 18 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(च) वादी छोटूराम व वादी सुभाष तथा प्रतिवादी सं० 16 से 26 के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 वादी मांगुराम से चिपता ही पश्चिमी हिस्सा यानि 02 बीघा 19 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(छ) प्रतिवादीगण चैनाराम दत्तक पुत्र काना के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 वादी छोटू व सुभाष से चिपता ही पश्चिमी भाग यानि 02 बीघा 19 बिस्वा घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
बीडवावा (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 126/2019
दायर दिनांक 28.05.2019, निर्णय दिनांक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

(ज) प्रतिवादी सं 12 से 15 बाबुलाल, अनाराम, पतासी व सरजु देवी के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 यानि 08 बीघा 15 बिस्वा वादी तेजाराम से छिपता ही पूर्वी व प्रतिवादी चेनाराम से पश्चिमी हिस्सा घोषित किया जाता है।

(झ) प्रतिवादी विजयराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 यानि 12 बीघा 07 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा घोषित किया जाता है।

(ट) प्रतिवादी सं० 02 मोहनसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 117 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 03 ता 10 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. कलेक्टर

(सहायक कलेक्टर)

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. कलेक्टर

(सहायक कलेक्टर)

डीडवाना (नागौर)

डिक्री वमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 126/2019

दायर दिनांक 28.05.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. श्रवण पुत्र जेदुराम उर्फ जेठाराम	1. विजयराम पुत्र पुसाराम जाति गुर्जर निवासी पीडवा तहसील डीडवाना
2. तेजाराम पुत्र जेदुराम उर्फ जेठाराम	1. मोहनसिंह पुत्र शिशपाल सिंह जाति राजपूत निवासी पीडवा तहसील डीडवाना
3. चेतन प्रकाश दत्तक पुत्र रूपाराम	2. धनाराम पुत्र भंवरू
4. मांगूराम पुत्र हणुताराम	3. मदन पुत्र भंवरू
5. छोटूराम पुत्र शैतानाराम	4. राजु देवी पुत्री भंवरू
6. सुभाष पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण पीडवा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	5. छोटीदेवी पुत्री भंवरू
	6. जगदीश पुत्र सोहन उर्फ मोहन
	7. नानूराम पुत्र सोहन उर्फ मोहन
	8. सन्तोष पुत्री सोहन उर्फ मोहन
	9. केशरदेवी बेवा सोहन उर्फ मोहन समस्त जाति गुर्जर निवासी आंगुन्ता तहसील डीडवाना
	10. चैनाराम दत्तक पुत्र काना
	11. बाबुलाल पुत्र किशनाराम
	12. अनाराम पुत्र किशनाराम
	13. पतासी पुत्री किशनाराम
	14. सरजु पुत्री किशनाराम
	15. देवली बेवा चन्द्राराम
	16. गिरधारी पुत्र चन्द्राराम
	17. महावीर पुत्र चन्द्राराम
	18. सिंजाराम पुत्र चन्द्राराम
	19. प्रकाश पुत्र चन्द्राराम
	20. रेखा पुत्री चन्द्राराम
	21. बाबुडी पुत्री चन्द्राराम नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता देवी बेवा चन्द्राराम
	22. भंवरलाल पुत्र प्रभूराम
	23. सोहनी पुत्री शैतान
	24. गीता पुत्री शैतान
	25. चौथुडी पत्नी शैतानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण पीडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज
	26. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 11.11.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अजीतसिंह वकील वादी व श्री नागपालसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, अतः हस्य दावा राजीनामा व नजरी नकशा अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

(क) वादी श्रवण के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 उत्तरी भाग यानि 04 बीघा 14 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/3 यानि 05 बीघा 17 बिस्वा पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

(ख) वादी तेजाराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी भाग यानि 04 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 05 बीघा 17 बिस्वा वादी चेतन प्रकाश से पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।

(ग) वादी चेतन प्रकाश के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 743 रकबा 14 बीघा में से 1/3 बीच का भाग यानि 04 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा में से 1/3 वादी श्रवण वादी तेजाराम के बीच का हिस्सा यानि 05 बीघा 17 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(घ) वादी मांगुराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी भाग यानि 12 बीघा 07 बिस्वा व खसरा सं० 313 03 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 05 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 हिस्सा यानि 02 बीघा 18 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(च) वादी छोटूराम व वादी सुभाष तथा प्रतिवादी सं० 16 से 26 के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 वादी मांगुराम से चिपता ही पश्चिमी हिस्सा यानि 02 बीघा 19 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(छ) प्रतिवादीगण चैनाराम दत्तक पुत्र काना के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से 1/2 में से 1/3 वादी छोटू व सुभाष से चिपता ही पश्चिमी भाग यानि 02 बीघा 19 बिस्वा घोषित किया जाता है।

(ज) प्रतिवादी सं 12 से 15 बाबुलाल, अनाराम, पतासी व सरजु देवी के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 312 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा में से 1/2 में से

सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 126/2019
दायर दिनांक 28.05.2019, निर्णय दिनांक 11.11.2019
श्रवण बनाम विजयराम, वगैरा।

1/2 यानि 08 बीघा 15 बिस्वा वादी तेजाराम से चिपता ही पूर्वी व प्रतिवादी चेनाराम से पश्चिमी हिस्सा घोषित किया जाता है।

(झ) प्रतिवादी विजयराम के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 532 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 यानि 12 बीघा 07 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा घोषित किया जाता है।

(ट) प्रतिवादी सं० 02 मोहनसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद पीडवा के खसरा सं० 117 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 03 ता 10 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... वाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.11.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)